कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः- श्री अनिल संत ,कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- **सर्वश्री ए0एस0लेदर वर्क्स , 128/636 ब्लाक-के,किदवई नगर,कानपुर।**

प्रा0प0सं0- **369/2008**

प्रार्थी की ओर से- **श्री धनराज अरोड़ा,अधिवक्ता ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अर्न्तगतनिर्णय

।- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 25-09-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रार्थी द्वारा निर्मित उत्पाद लेदर वैलो के सम्बन्ध में कर की दर की जानकारी चाही गयी है।

2- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री धनराज अरोड़ा,अधिवक्ता उपस्थित हुयें व उन्होनें उपरोक्त तथ्यों को दोहराया । प्रार्थी द्वारा निर्मित उत्पाद लेदर वैलो को वैट अधिनियम की अनुसुची-2 भाग-क की कम संख्या-105 में माना गया है अतः 4 प्रतिशत की दर से करयोग्य होना चाहिए ।

3- एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-। वाणिज्य कर,कानपुर जोन, कानपुर से आख्या प्राप्त की गयी जो पत्रावली पर रखी गयी है। आख्या में उल्लेख किया गया है कि व्यापारी द्वारा उत्पादित की जा रही वस्तु अवर्गीकृत होने के कारण शिडयूल-5 की वस्तु है। डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-22,वाणिज्य कर ,कानपुर द्वारा प्रेषित आख्या में उल्लेख किया गया है कि व्यापारी के मामले में माह फरवरी,2008 के हेतु अस्थाई कर निर्धारण आदेश दिनांक 18-9-08 को पारित कर दिया गया है।

4- मैनें व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों, प्राप्त विभागीय आख्या, विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को का अवलोकन किया। व्यापारी के मामले में कर निर्धारण अधिकारी के स्तर पर कार्यवाही पेन्डिग चल रही है। धारा-59 के क्लाज-। के अन्तर्गत उपरोक्त विषय में मेरे द्वारा निर्णय दिया जाना विधि संगत नहीं होगा। अतः धारा-59 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक ::25 नवम्बर,2008

ह0/25-11-08

(अनिल संत)

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।